

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़)

E-mail :- divisionmanendragarh@rediffmail.com Phone - 07771-241349, Fax 243731

क्र./मा.चि./ 2018/1248
प्रति,

मनेन्द्रगढ़/दिनांक 04/07/2018

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त
अम्बिकापुर

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for widening & upgrading to 2 Lane with paved shoulder of NH-78 (New NH - 43) Katni - Gumla Road from Manendragarh to Dumariya (Baikunthpur) under NH corridor scheme in the State of Chhattisgarh, area - 36.99 ha. - regarding.**


पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/21393/2016

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./मा.चि./2355 अम्बिकापुर, दिनांक 18.06.2018

== 00 ==

विषयांतर्गत निवेदन है कि Public Works Department National Highway Zone Chhattisgarh द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत Widening & Upgrading of NH - 43 हेतु मनेन्द्रगढ़ एवं कोरिया वन मंडल अंतर्गत कुल क्षेत्र 36.99 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रतिवेदन के पार्ट-02 के अंतर्गत कमियों में निम्नलिखित बिन्दुवार सुधार किया गया है :-

1. प्रकरण में ऑनलाईन फार्म में पार्ट - 02 में Legal status of forest land proposed for diversion total area = 34.8 दर्शित है। परन्तु फार्म - ए, पार्ट - 01 में कुल व्यपवर्तित क्षेत्र 36.99 हे. है, जिसमें सुधार कर लिया गया है।
2. वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ का निरीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में अपलोड कर लिया गया है।
3. मनेन्द्रगढ़ एवं कोरिया वनमण्डल अंतर्गत जिलेवार वनक्षेत्र का व्यपवर्तन में सुधार करते समय गलती से प्रपोजल प्रतिवेदन लॉक हो गया एवं प्रपोजल आपकी ओर प्रेषित हो गया है। आपके द्वारा E.D.S. किये जाने पर अन्य कमियों में सुधार किया जा सकेगा।


वनमण्डलाधिकारी

मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़

o/c